

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक:प.32(बी)(1)आब/एल/2009/2782

दिनांक: 24.02.2009

पड़त देशी मदिरा समूहो हेतु आवेदन आमन्त्रण सूचना

1. आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2009-2010 के संदर्भ में देशी मदिरा दुकानो के अनुज्ञापन हेतु आवेदन आमन्त्रण के प्रथम चरण के उपरान्त जो देशी मदिरा समूह/दुकाने पड़त रहे हैं, उनके लिये आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं ।
2. ऐसे पड़त समूहों की जानकारी सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी से की जा सकती है । पड़त समूहो की सूचि विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। आवेदन आमन्त्रण की शेष शर्ते व प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी ।
3. प्रथम चरण के ऐसे आवेदक जिनका लॉटरी प्रक्रिया में चयन नहीं हुआ है तथा जिनका आवेदन दुकानो की आरक्षित सूचि में भी शामिल नहीं है, ऐसे आवेदक उनके द्वारा जमा करवाई गई अर्नेस्टमनी की राशि को उसी जिले की पड़त दुकान के प्रति समायोजित माने जाने का आवेदन सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को कर सकते हैं । ऐसे मामलो में अर्नेस्टमनी के अन्तर की राशि, यदि कोई देय है, का चालान/बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट इत्यादि संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अपूर्ण अर्नेस्टमनी के आधार पर ऐसे आवेदन विचार किये जाने योग्य नहीं होंगे ।
4. आवेदन आमन्त्रण की इस सूचना के क्रम में आवेदन सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक **02.03.2009** को अपरान्ह **1.00** बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे । इस प्रकार प्राप्त आवेदनो के संदर्भ में आवश्यकता होने पर लॉटरी प्रक्रिया दिनांक **02.03.2009** को सायं **5.00** बजे राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के समक्ष संपादित की जायेगी । लॉटरी प्रक्रिया हेतु निर्धारित स्थान की सूचना सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी ।

(सी. पी. व्यास)

आबकारी आयुक्त
राजस्थान, उदयपुर